भाग दो : खण् ड छ:
मध् य ूदेश वन उपज (व् यापार िविनयमन)
कां ठ िनयम, 1973

अिधसूचना बमांक है 18-9-73-3-(X)1 िदनांक 2-11-73 मध्य ूदेश वन उपज (व्यापार िविनयमन) अिधिनयम, 1969 (बमांक 9, वषर् 1969) की धारा 21 द्वारा ू दत्त शिक्तयों को ू योग में खाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा िनम् निलिखत िनयम जो िक उक्त घास की उपधारा (1) द्वारा अपेिक्षत िकये गये अनुसार पूवर् में ूकािशत िकये जा चुके हैं, बनाता है, अथार्त्-

िनयम

1. संिक्षप्त नाम: ये िनयम मध्य ूदेश वन उपज (व्यापार िविनयमन) काष्ठ िनयम, 1973, कहलायेंगे ।

2. पिरभाषाएं - इन िनयमों में जब तक ूसंग से अन्यथा अपेिक्षत न हो :

(क) "अिधिनयम" से अिभूेत है "मध्य ूदेश वन उपज (व्यापार िविनयमन) अिधिनयम, 1969(ब. 9, 1969)" (ख) 'खण्डीय वन आिफसर" से अिभूेत है वह वन आिफसर, जो क्षेऽीय वन मण् डल का ूभारी' हो या कोई अन्य आिफसर िजसे िक राज्य सरकार ने उसके समकक्ष घोिषत िकया हो।

(ग) "उपभोक्ता िवबय ूमाण पऽ" से अिभूेत है फुटकर िवबता द्वारा जारी िकया गया िवबय ूमाण पऽ जो उसके द्वारा उपभोक्ता को बेची गई इमारती लकडी की माऽा का ूमाणीकरण करें।

(घ) "ूरूप" से अिभूेत है इन िनयमों से संलग्न "ूरूप" ।

(ड) "बेता" से अिभूेत है ऐसा व्यिक्त या पक्ष, िजसे ऐसी रीित में, िविनिदर्ष्ट इमारती लकडी बेच दी गई हो या उसका अन्यथा िनवर्तन कर िदया गया हो, जैसा िक राज्य सरकार अिधिनयम की धारा 12 के अधीन िनदेर्श दे; (च) "पिरवहन अनुज्ञा-पऽ"से अिभूेत है िविनिदर्ष्ट वन उपज का पिरवहन को के िलये अिधिनयम की धारा 5 की उपधारा (2) के खण् ड (ग) के अधीन जारी िकया गया अनुज्ञा-पऽ।

3. िविनिदर्ष्ट इमारती लकडी के वाःतिवक उपयोग, उपभोग या िनःतार हेतु पिरवहन -

(1) कोई भी व्यिक्त अनुज्ञिप्त िवबेता द्वारा उपभोक्ता िवबय ूमाण-पऽ के अन्तगर्त उसे बेची गई िविनिदर्ष्ट इमारती लकडी को बय के ःथान से उस ःथान तक जहाँ िक वह उसके वाःतिवक उपभोग या उपयोग के िलये अपेिक्षत हो, अिधिनयम की धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन व् यिक्तश: पिरवहन कर सकेगा।

(2) िवबेता/वन आिफसर द्वारा जारी िकये गये वन उपज पास, िनःशुल्क या सशुल्क िनःतार पास, संरािशदान पास (Commutation Pass) या मनी रहसीद के अधीन आने वाली िविनिदर्ष्ट इमारती लकडी का, उसमे (पास में) िविनिदर्ष्ट माऽा की सीमा तक, पिरवहन राज्य के िविभन्न क्षेऽों में तःसमय ूवृत िनयमों के अनुसार िकया जा सकेगा। 4. पिरवहन अतुज्ञा-पऽ-

(1) अिधिनयम की धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) (ख) तथा (घ) के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, िविनिदर्ष्ट इमारती लकडी का पिरवहन िनम् निलिखत ूकार के अनुज्ञा-पऽों द्वारा िविनयिमत होगा, जो िक अिधकािरयों द्वारा ऐसो रीित से जारी िकये जावेंगे जैसे िक उनमें से ूत्येक के सामने विणर्त की गई है।

पिरवहन अनुज्ञा के ूकार(1)	अनुज्ञा-पऽजारी करने वाला ूािधकारी (2)	वे शतेर्िजनके अनुसार अनुज्ञा-पऽजारी िकये जायेंगे। (3)
T-1 िविनिदर्ष्ट क्षेऽ के भीतर पिरवहन के िलये जब और आगे पिरवहन की आवँयकता न हो। T-2 िविनिदर्ष्ट क्षेऽ के भीतर पिरवहन जब और आगे पिरवहन आवँयकता हो। T-3 िविनिदर्ष्ट क्षेऽ के बाहर िविनिदरं्ट इमारती लकडी के पिरवहन के िलये।	खण् डीय वन आिफसर या उसके द्वारा िकया गया कोई अन् य आिफसर खण् डीय वन आिफसर या उनके द्वारा ूािधकृत िकया गया कोई अन् य आिफसर तदैव	इमारती लकडी की पूणर् कीमतवसूल होने पर इमारती लकडी की पूणर् कीमत वसूल होने पर इमारती लकडी की पूणर् कीमत वसूली पर और अनुज्ञा-पऽ जारी करने वाले आिफसर का इमारती लकडी की ूमािणकता के बारे में पूणर् समाधान होने पर।

परन्तु खंडीय वन आिफसर, यिद उसके पास यह िवश्वास काने का कारण हो िक उसके द्वारा अनुज्ञा-पऽ जारी करने के िलये ूािधकृत आिफसर उपयुक्त नहीं है, जो वह ऐसा ूािधकरण तुरन्त रद्द कर देगा।

(2) पिरवहन अनुज्ञा-पS में मागर् तथा अविध को छोड़कर िलिखत िकसी भी अन्य बात में कोई भी पिरवतर्न नहीं िकया जायेगा और यह पिरवतर्न ऐसे आिफसर द्वारा िलिखत में अिभिलिखत िकये गये पयार्प् त कारणों से ही िकया जायेगा जो िक पद में वन क्षेSपाल की ौेणी से िनम् न ौेणी का न हो।

(3) पूवोर्क्त ूकारों में से िकसी भी ूकार के पिरवहन अनुज्ञा-पS जारी करने के िलए आवेदन-पS ूरूप "क" में िदया जायेगा और यथािःथित खंडीय वन आिफसर या अनुज्ञा-पS जारी करने के िलये ूािधकृत आिफसर को ूःतुत िकया जायेगा।

परन्तु खण्डीय वन आिफसर या उसके द्वारा अनुज्ञा-पS जारी करने के िलये ूिधकृत अिधकारी, यिद उसके पास यह िवँ वास करने का कारण है िक िविनिदर्ष्ट इमारती लकडी, िजसके िक सम्बन् ध में आवेदन िदया है, अवैध रूप से ूाप्त की गई है, या अनुिचत रूप से या ूािधकार के िबना संमहीत की गई है तो आवेदक को सुनवाई का ऐसा अवसर देने के पश्चात्, जैसा िक वह पिरिःथितयों में उिचत समझे, िलिखत में आदेश द्वारा ऐसे आवेदन-पS को अःवीकृत कर सकेगा।

परन् तु यह और भी यिद आवेदक उपरोक्त आदेश से व्यिथत हो तो आवेदन-पS की अःवीकृत की तारीख से तीस िदन के भीतर वह पद-बम में अगले उच् च आिफसर को अपील ूःतुत कर सकेगा। िजसका िक िविनश्चय अिन्तम होगा।

(4) समःत ूकार के पिरवहन अनुज्ञा-पSिनम्निलिखत शतोर् के अध्यधीन होंगे-

(क) िविनिदर्ष्ट इमारती लकडी के ूत् येक ूेषण (Consignment) के िकसी भी पिरवहन साधन द्वारा ले जाते समय उपिनयम (1) में िविनिदर्ष्ट पिरवहन अनुज्ञा-पS उसके साथ होगा।
(ख) िविनिदर्ष्ट इमारती लकडी का पिरवहन केवल उस मागर् द्वारा ही िकया जायेगा जो िक अनुज्ञा पS में िविनिदर्ष्ट हो और जॉच पड़ताल के िलये उन्हें ऐसे ःथान पर या ःथानों पर पेश काना होगा जो िक उसमें िविनिदर्ष्ट िकया / िकये जायें।

(ग) खण्डीय वन आिफसर या इस सम्बन् ध में उसके द्वारा ू ािधकृत िकये गये आिफसर की िलिखत अनुज्ञा (Permission) के िबना सूयार्ः त के पश्चात तथा सूयोर्दय से पूवर् िकसी भी समय िविनिदर्ष्ट इमारती लकडी का पिरवहन नहीं िकया जायेगा:

(घ) अनुज्ञा-पS ऐसी कालाविध के िलये िविधमान्य होगा जो उसमें िविनिदर्ष्ट की जाये।

(ड) पिरवहन अनुज्ञा पS ऐसे आिफसर द्वारा जो पद में ऐसा अनुज्ञा-पS जारी करने वाले आिफसर की ौेणी का या उससे ऊपर की ौेणी का हो, एतदद्वारा रद्द िकये जाने योग्य होगा, यिद यह िवश्वास करने का कारण हो िक उसका दुरुपयोग िकया गया है या उसके दुरुपयोग िकये जाने की सम्भावना है।

(च) समःत पिरवहन अनुज्ञा-पS, िविनिदर्ष्ट ऐसी इमारती लकडी के पिरवहन करने के पश्चात् या उसमें विणर्त कालाविध का अवसान होने के पश्चात्, जो भी पूवर्वतीर् हो, पन्िह िदन के भीतर समीपःथ वन क्षेSपाल के पद के या उससे उच्च पद के वन आिफसर को, अिभःवीकृित ूाप्त करने के पश्चात् वािपस कर िदये जायेंगे।

5. िविनिदर्ष्ट इमारती लकडी को उगाने वालों का रिजःशीकरण Ð

(1) राज्य सरकार को छोड़कर िविनिदर्ष्ट इमारती लकडी का ूत्येक उगाने वाला, यिद उसके द्वारा उगाई गई िविनिदर्ष्ट इमारती लकडी की माSा, नीचे िविनिदर्ष्ट की गई माSा के अिधक हो, तो ःवयं को अिधिनयम की धारा 10 के अधीन रिजःशीकृत करायेगा।

िविनिदर्ष्ट इमारती लकडी (1)	माSा (2)
(1)सागौन (Tectona grandis) (2)साल, बीजा, शीशम .... (Shorea robu'sta, Pterocarpus marsupium, Dalbergia Spp)	30सेमी. या उससे ऊपर की गोलाई का एक वृक्ष60 सेमी या उससे ऊपर की गोलाई का एक वृक्ष

(2) उगाने वाला उसके क्षेS में, जमीन पर उत्तम खम्भ लगाकर सीमांकन करेगा और भू-राजःव संिहता, 1959 (ब. 20 वषर् 1959) के उपबन्धों के अधीन कटाई िकये जाने के िलये अनुज्ञेय तथा बेचें जाने के आशियत िविनिदर्ष्ट इमारती लकडी के समःत वृक्षों को अनुबमांिकत करेगा और उनकी गोलाई की नाप, वृक्ष की छाती ऊँचाई पर (अथार्त जमीन की सतह से 135 सेन्टी मीटर पर) करेगा तथा इस ूकार तैयार की गई एक सूची रिजःशेशन हेतु आवेदन के साथ ूः तुत करेगा। िविनिदर्ष्ट इमारती लकडी के उगाने वालों के रूप में रिजःशीकरण के िलये आवेदन ू रूप "ख" में होगा और उस पिरक्षेS आिधकारी (Range Officer) के समक्ष ूःतुत करेगा िजसके िक अिधकािरता के भीतर उगाने वालों की वह भूिम िःथत है िजसपर िक िविनिदर्ष्ट इमारती लकडी के वृक्ष उगते है। पिरक्षेS अिधकारी (Range Officer) सम्बिन्धत पटवारी के साथ, ःथल पर सम्यक् सत्यापन करने के पँ चात् आवेदन को उसकी ूािप्त के तीस िदन के भीतर खण्डीय वन आिफसर या खंडीय वन आिफसर के कायार्लय में पदःथ सम्बद्ध उस आिफसर को िजसे खंडीय वन आिफसर द्वारा इस िवषय में

ूािधकृत िकया गया हो, अमेिषत करेगा, जो ऐसी जांच के पँ चात् जैसी िक वह आवँ यक समझे, रूप "ग" में रिजःशीकरण ू माण-पऽ मंजूर कर सकेगा या आवेदन-पऽ को उसके िलये कारण अभिलिखत करने के पश्चात नामंजूर कर सकेगा।

(3) एक बार जारी िकया गया रिजःशीकरण का ू माण-पऽ उस समय तक िविधमान् य रहेगा जब तक िक िविनिदर् ट इमारती लकडी बेची जाती है या वह खंडीय वन आिफसर या उसके राजपिऽत सहायक द्वारा उसके द्वारा िलिखत में अभिलिखत िकये जाने वाले कारणों से रद्द (Cancelled) या उपान् तिरत (Modified) न िकया जाये, या उस समय त क िविधमान् य रहेगा जब त क िक आवेदक उस भूिम का, िजसके िक सम् बन् ध में रिजःशीकरण ूमाण पऽ अभिूाप् त िकया है, ः वामी रहता है, इसमें से जो भी पूवर्तर होगा।

(4) रिजःशीकरण ूमाण-पऽ का जारी िकया जाना, मध् य ूदेश भू-राजः व संिहता 1959 (ब. 20 वषर् 1959) या उसके अधीन बनाये गये िनयमों के उपबन् धों की अध् यपेक्षाओं (requirements) के अितिरक् त होगा।

(5) यिद रिजःशीकरण ूमापा-पऽ गुम हो जाये या िवकृत हो जाये तो उसकी ूमािणत ूितिलिप, दस रुपया चुकाने पर, खंडीय वन आिफसर या उनके राजपिऽत सहायक से ूाप्त की जा सकेगी। िवकृत हो गये (Mutilated) ूमाण-पऽ की ूमािणत ूितिलिप जारी की जा सकेगी। िवकृत हो गये (Mutilated) ूमाण-पऽ की ूमािणत ूितिलिप जारी करते समय, पूवर् के ूमाण-पऽ को, ऐसी ूित जारी करने वाला आिफसर नं ट कर देगा, और ऐसे िकये जाने बावत् ूमाण-पऽ िलखेगा।

6. अःवीकृत इमारती लकडी के गारे में जाँच की ूिबया-

(1) अिधनयम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन िशकायत ूाप्त होने पर, जांच करने वाला आिफसर यथा-सम्भव शीय सम्बिन्धत पक्ष या पक्षों को, सूचना की तामीली द्वारा जॉच करने के िलये िनयत िकया गया ःथान, तारीख तथा समय ूज्ञािपत करेगा ।

(2) िनयत ःथान पर तथा िनयत तारीख पर या िकसी ऐसी पश्चातवतीर् तारीख पर िजसके िलये जांच ः थिगत की जाये, ऐसा आिफसर, उन पक्षों की या उसके द्वारा सम् यक् रूप से ूािधकृत िकये गये ूितिनिधयों की जो िक उसके समक्ष उपिःथत हो, सुनवाई करने के पँ चात और एसी जांच के पँ चात जैसी िक वह आवँ यक समझे, धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसार ऐसा आदेश पािरत करेगा, जैसा िक वह उिचत समझे :

परन्तु पािरत िकये गये आदेशो से व्यिथत कोई भी व्यिक्त, आदेश करने वाले अिधकारी के पदबम में अगले उच् च अिधकारी को आदेश पािरत िकये जाने की तारीख से तीस िदन के भीतर अपील ू ः तुत कर सकेगा। अपील अिधकारी का िविनँ चय अिन्तम होगा।

(3) यिद पक्षकार या पक्षकारगण, जैसी भी िःथित हो, या तो ःवयं या उनके ूितिनिध, उसके मुख् त् यारनामे के साथ (Power of Attorney) उपिःथत (Appear) न हों, जो जॉच आिफसर ऐसी जॉच करने के पश्चात् जैसी िक यह आवँयकता समझे, एकपक्षीय िविनश्चय करेगा :

परन्तु एकपक्षीय आदेश पािरत िकये जाने की तारीख से पन्िह िदन के भीतर, आवेदक, का आवेदन ूाप्त होने पर, यिद जॉच आिफसर का समाधान हो जाये िक पक्षकार पक्षकारगमों के उपिःथत न होने का पयापर्त कारण था, तो यह ऐसी जांच के पश्चात् जैसी उिचत समझें, एकपक्षीय आदेश को अपाः त (Set-a-side) करते हुए यथोिचत आदेश पािरत करेगा :
परन्तु यह और भी िक जहाँ एक पक्षीय आदेश करने हेतु आवेदन पऽ नामंजूर कर िदया जाये, वहां आवेदन-पऽ नामंजूर िकए जाने की तारीख से तीस िदन के भीतर, पदबम में अगले उच् च आिफसर के समक्ष अपील ूः तुत की जा सकेगी और िजसका िनणर्य अिन्तम होगा।

7. िविनिदर् ट इमारती लकडी के िविनमार्ताओं, व् यापािरयों तथा उपभोक् ताओं का रिजःशीकरण -

(1) त् येक िविनमार्ता जो िविनिदर् ट इमारती लकडी का कच् चे माल के रूप में उपयोग करता है तथा ू त् येक व् यापारी और उपभोक् ता िजसका, यथािःथित, वािषर्क उपयोग, आवँ यकता या उपभोग नीचे दी गई अनुसूची में दी गई माऽा से अिधक हो, िविनिदर् ट इमारती लकडी के अपने ः टाक की घोषणा ूरूप "घ" में करेगा और, नीचे दी गई अनुसूची में िविनिदर् ट की गई वािषर्क रिजःशीकरण शुल् क का संदाय करने के पँ चात्, इसके पँ चात् उपबंिधत रीित में, ः वयं को रिजःशीकृत करवाएगा :-

अनुसूची

वह न् यूनतम माऽा िजसके िक िलये िविनमार्ताओं, व् यापािरयों एवं उपभोक् ताओं का रिजःशीकरण होना आवँ यक है तथा िविनमार्ताओं, व् यापािरयों और उपभोक् ताओं के रिजःशीकरण के िलये वािषर्क फीस Ð

वह न् यूनतम माऽा िजसके िलये रिजःशीकरणआवँ यक है		वािषर्क रिजःशीकरण शुल् क		
व् यापारी (1)	उपभोक् ता (2)	िविनमार्ता तथा उपभोक् ता (3)	व् यापारी (4)	उपभोक् ता(5)

(क)भवन िनमार्ण ठेकेदार के िलये घन मीटर (ख)बढई की दुकान, फनीर्चर बनाने वाले, िजसमें टनर्री आटीर्जन् स सिम्मिलत है, के िलए 1 घन मीटर (ग)िविनमार्ता/व् यापारी के िलये, 1 घन मीटर।	वाः तिवक ू योजनों के िलए 10 घन मीटर	रूपये 1000/-	(क)भवन िनमार्ण ठेकेदार के रूपये 1000 (ख)बढई की दुकान, फनीर्चर बनाने वाले, िजसमें टनर्री आटीर्जन् स सिम्मिलत है, के िलए रूपये 200/- (ग)केवल व् यापारी के िलये रूपये 100/-	वाः तिवक उपभोक् ता रूपये 200/-

टीप :-

(1)आवेदन के साथ उपरोक् त दर पर वािषर्क रिजःशीकरण शुल् क का संदाय करने के पँ चात्, िकसी व् यापारी/िविनमार्ता/उपभोक् ता को उसके द्वारा ऐसी कालाविध के िलए शुल् क संदत् त िकए जाने पर एक या दो या तीन वषर् के िलये रिजःशीकृत िकया जाएगा।

(2)रिजःशीकरण की कालाविध के दौरान, यिद व् यापारी/िविनमार्ता/उपभोक् ता के िवरूद्ध कोई अिनयिमतता अथवा वन अपराध पंजीबद्ध िकया जाता है तो पूवोर्क् त कालाविध के िलए उसका रिजःशीकरण रद्द कर िदया जाएगा तथा रिजःशीकरण शुल् क, वन मण् डल के भारसाधक अिधकारी द्वारा समुिचत आदेश जारी कर, राजसात कर िलया जाएगा।

(3)यिद व् यापारी/िविनमार्ता/उपभोक् ता, वनमण् डल के भारसाधक अिधकारी द्वारा पािरत आदेश से संतुं ट न हो तो, वह वन वृत् त के भारसाधक अिधकारी को एक माह की कालाविध के भीतर अपील कर सकेगा। वन वृत् त के भारसाधक अिधकारी द्वारा िकया गया िविनँ चय अंितम होगा।

(4)अिधसूचना ब. एफ-25-17-2009 दस िदनांिकत 21.11.2012 अनुसार ूः थािपत एवं िद. 21.11.2012 से ू वृत् त।

1(2) धारा 11 के अधीन रिजःशीकरण के िलये आवेदन ूरूप 'ड' में होगा और उस वन 1मंडल के भार साधक अिधकारी खंडीय आिफसर के समक्ष ूः तुत िकया जावेगा िजसकी अिधकािरता के भीतर िविनिदर्ं ट इमारती लकडी का िविनमार्ता, व् यापारी या उपभोक् ता िनवास करता हो या उसके कारबार का मुख् य ः थान (Head Office)िःथत हो । यिद िविनमार्ता, व् यापारी या उपभोक् ता मध् य ूदेश राज् य के बाहर िनवास करता हो तो वह अपना आवेदन पऽ िविनिदर्ं ट क्षेऽ के भीतर िकसी भी वन मण् डल के भारसाधक अिधकारी को ूः तुत कर सकेगा। वािषर्क रिजःशीकरण फीस अिमम में जमा की जायेगी और इस साआ य की, िक रकम जमा कर दी है, ूितिलिप रिजःशीकरण के िलये आवेदन पऽ के साथ संलग् न की जायेगी। वन मण् डल के भारसाधक अिधकारी या उसके द्वारा िलिखत में ूािधकृत िकया गया कोई आिफसर, एसी जांच करने के पँ चात्, जैसी िक वह आवँ यक समझे, ूरूप 'च' में रिजःशीकरण ूमाण-पऽ ूदान कर सकेगा या आवेदन पऽ को उसके िलये कारण अिभिलिखत करने के पँ चात् अः वीकृत कर सकेगा : परन् तु ऐसे आदेश से व् यिथत कोई भी व् यिक्त, आदेश देने वाले अिधकारी से पदबम में अगले उच् च अिधकारी को 30 िदन के भीतर अपील ूः तुत कर सकेगा जो सम् बिन्धत पक्षकार या पक्षकारों की सुनवाई के पँ चात्, ऐसा आदेश पािरत करेगा जो उपयुक् त समझे। अपील अिधकारी का िनणर्य अिन्तम होगा। (3)रिजःशीकरण उस कैलेन् डर वषर् के िलये िविधमान् य होगा िजसके िक िलये रिजःशीकरण का ूमाण-पऽ जारी िकया गया है।

(4)िविनिदर्ं ट इमारती लकडी का ूत् येक रिजःशीकृत िविनमार्ता, व् यापारी तथा उपभोक् ता, िविनिदर्ं ट इमारती लकडी के लेखाओं का रिजः टर रखेगा तथा वह इन लेखाओं की िववरणी वन मण् डल के भारसाधक अिधकारी को ऐसे ूरूप में ूः तुत करेगा जो िक आिफसर द्वारा समय-समय पर िविहत की जावे। (5)यिद ूमाण-पऽ गुम हो जाये या िवकृत हो जावे तो उसकी ूमािणत ूितिलिप (Certified copy) वन मण् डल के भारसाधक अिधकारी को ूत् येक ूमाण-पऽ नं ट कर िदया जायेगा तथा इस बात का िववरण नवीन ूमाण-पऽ में िदया जावेगा।

(6)िविनिदर्ं ट इमारती लकडी के ऐसे िविनमार्ता, व् यापारी या उपभोक् ता का रिजःशीकरण ूमाण-पऽ िजसमें िक अिधिनयम, इन िनयमों या राज् य सरकार के साथ िकये गये िकसी करार की शतोर् का ऐसा भंग िकया हो, िजसके िक पिरणामः वरूप या तो उसे अिधिनयम की धारा 16 के अधीन दिण्डत िकया गया हो या उसका करार पयर्विसत (समाप् त) (Terminated) कर िदया हो, वन मण् डल के भारसाधक अिधकारी द्वारा रद्द िकये

जाने के दाियत् वाधीन होगा और यथािःथित, ऐसे िविनमार्ता, व् यापारी या उपभोक् ता का रिजःशीकरण ऐसी और कालाविध के िलये, जो िक तीन वषर्, तक हो सकती है, अः वीकृत िकया जा सकेगा:

परन् तु यिद संबंिधत िविनिदर्ं ट इमारती लकडी का िविनमार्ता, उपभोक् ता या व् यापारी उपरोक् त आदेश से व् यिथत हो, तो वह आदेश जारी िकये जाने की तारीख से तीस िदन के भीतर संबंिधत वनसरकल के भार साधक अिधकारी को अपील कर सकेगा:

परन् तु यह और भी िक संबंिधत वन सरकल का भार साधक अिधकारी िलिखत में अिभिलिखत िकये जाने वाले पयार्प् त कारणों से पूवर् वतीर् परन् तुक में िविनिदर्ं ट कालाविध की समािप्त के पँ चात् भी अपील महण कर सकेगा।

1.कंिडका 7(2) अिध. ब. एफ 26.9.2006 दस-35 िदनांक 29.10.09 द्वारा संशोिधत । म.ू. राजपऽ भाग 4(ग) िदनांक 6.11.09 पृं ठ 667-668 पर ूकािशत।

(8)िवबय ूमाण-पऽ Ð राज् य सरकार या उसका ूािधकृत आिफसर जो बेता को िविनिदर्ं ट इमारती लकडी का िवबय या पिरदान करता है उसे ूरूप "छ" में िवबय ूमाण-पऽ देगा। यिद िवबय ूमाण पऽ गुम हो जाये या िवकृत हो जाये, तो पांच रूपये का भुगतान िकये जाने पर उसकी दूसरी ूितिलिप संबंिधत खंडीय वन आिफसर द्वारा सम् यक् सत् यापन के पँ चात् जारी की जावेगी। ऐसे व् यिक्त से, जो यह दावा करे िक उसने धारा 12 के अधीन राज् य सरकार से िविनिदर्ं ट इमारती लकडी का बय िकया है, िकसी वन, या पुिलस अिधकारी (जो िक सहायक सब-इन् ःपेक् टर के पद से िनम् न न हो) के द्वारा मांग िकये जाने पर अपने दावे के समथर्न में िवबय ूमाण-पऽ पेश करेगा। िवबय ूमाण-पऽ पेश न िकये जाने की िःथित में उसका दावा ूितमहीत नहीं िकया जावेगा और ऐसा ःटाक, िजसके संबंध में उसने राज् य सरकार से बय करने का दावा िकया है, यिद िवबय ूमाण पऽ द्वारा समिथर्त न हो, तो वह राज् य सरकार की सम् पित्त समझा जावेगा और वन या पुिलस आिफसर द्वारा उसे कब् जे में िलया जा सकेगा :

परन् तु यिद ऐसा व् यिक्त, वन या पुिलस आिफसर द्वारा ऐसी िविनिदर्ं ट इमारती लकडी को कब् जे में लेने से पन् िह िदन के भीतर खंडीय वन आिफसर के समक्ष राज् य सरकार से ऐसा ःटाक बय िकये जाने के समथर्न में उक् त खंडीय वन आिफसर को समाधानूद रूप में साआ य ूःतुत करे, तो वन या पुिलस आिफसर द्वारा इस ूकार कब् जे में ली गई इमारती लकडी को खंडीय वन आिफसर द्वारा छोड िदया जायेगा। **(9)**िविनिदर्ं ट वन उपज के फुटकर िवबय के िलये अनुज्ञिप्त की मंजूरी Ð

(1)ऐसा कोई व् यिक्त जो िविनिदर्ं ट इमारती लकडी के फुटकर िवबय के कायर् में अपने को लगाने का इच् छुक हो, इसमें इसके पँ चात् उपबंिधत रीित में अनुज्ञिप्त ूाप् त करेगा।

(2)अिधनयम की धारा 13 के अधीन अनुज्ञिप्त के िलये आवेदन-पऽ ूारूप "ज" में होगा, जो ूत् यके ूरूप के िलये एक रूपये की देनगी पर खंडीय वन अिधकारी के कायार्लय से ूाप् त िकया जायेगा।

(3)आवेदन पऽ खंडीय वन आिफसर या उसके राजपिऽत सहायक के समक्ष ूःतुत िकया जावेगा, जो ऐसी जांच करने के पँ चात्, जैसा िक वह उिचत समझे, या तो वह आवेदन पऽ को उसके िलये कारण िलिखत में अिभिलिखत करने के पँ चात् ःवीकार कर सकेगा या आवेदक को इन िनयमों के अधीन िविहत वािषर्क शुल् क जमा करने के िलये िनदेर्श दे सकेगा।

(4)वािषर्क अनुज्ञिप्त फीस िनम् न तािलका अनुसार होगी :

अपेिक्षत वािषर्क िवबय	वािषर्क रिजःशीकरण फीस (2)
(क) 10 घ.मी. तक (ख) 10 से 50 घ.मी. तक(ग) 50 से 100 घ.मी. तक(घ) 100 घ.मी. से अिधक	5/- रूपया 5/- रूपया 5/- रूपया 5/- रूपया

(5)आवेदक, खंडीय वन आिफसर या उसके राजपिऽत सहायक द्वारा िनदेर्िशत िकये गये अनुसार वािषर्क फीस भेजेगा और ऐसे आदेश पािरत िकये जाने के सात िदन के भीतर, यह साआ य िक रकम जमा कर दी है, ूःतुत करेगा।

(6)वािषर्क फीस की रकम जमा िकये जाने के संबंध में साआ य ूःतुत करने पर खंडीय वन आिफसर या उसका राजपिऽत सहायक ूरूप "झ" में अनुज्ञिप्त मन् जूर करेगा।

(7) त् येक अनुज्ञिप्तधारी, िविनिदर्ं ट इमारती लकडी के लेखाओं का रिजःटर रखेगा और संबंिधत पिरक्षेऽ अिधकारी (Range Officer) को ःटाक की िववरणी ऐसे ूरूपों में और ऐसी तारीखों को, जो िक सम् बिन्धत वन संरक्षक द्वारा िविहत की जाये ूःतुत करेगा।

(8)यिद अनुज्ञिप्त गुम हो जाये तो या िवकृत हो जाये, तो उसकी ूमािणत ूितिलिप खण् डीय वन आिफसर या

उसके राजपिS त सहायक से, ूत् येक ूमाण-पS के िलए जांच रूपये चुकाने पर ूाप् त की जा सकेगी। (9)यिद िविनिदर् ट इमारती लकडी के अनुज्ञिप्तधारी द्वारा अिधनियम, इन िनयमों; अिधनियमों और िनयमों के अधीन राज् य सरकार के साथ िकये गये करार की शतोर्, यिद कोई हो, िक िकन् ही भी उपबन् ध का ऐसा भंग िकया जाये िजसके िक पिरणामः वरूप या तो उसे धारा 16 के अधीन दिण्डत िकया गया हो या उसका करार पयर्विसत (Terminate) कर िदया गया हो, तो उसकी अनुज्ञिप्त, खंडीय वन आिफसर या उसके राजपिSत सहायक द्वारा (यिद उसे खंडीय वन अिधकारी द्वारा िलिखत में इस हेतु ूािधकृत िकया गया हो), रद्द िकये जाने के दाियतवाधीन होगी, और ऐसे व् यिक्त को कम के कम 3 वषर् तक िकन् तु 7 वषर् से अनािधक कालाविध के िलये अनुज्ञिप्त अः वीकृत की जा सकेगी :

परन् तु यिद संबंिधत िविनिदर् ट इमारती लकडी का अनुज्ञिप्त धारी उपरोक् त आदेश से व् यिथत हो तो वह संबंिधत वन संरक्षक को ऐसे ओदश की तारीख से तीस िदन के भीतर, अपील कर सकेगा:

परन् तु यह और भी, िक ऐसा अपीलीय ूािधकारी, िलिखत में िदये जाने वाले पयार्प् त कारणों से पूवर्वतीर् उपबन् ध में िविनिदर् ट कालाविध की समािप्त के पँ चात् भी अपील महण कर सकेगा।

(10)अनुज्ञिप्तधारी, िविनिदर् ट इमारती लकडी का, िकसी भी उपभोक् ता को, वाः तिवक उपयोग के िलये फुटकर में पांच घन मीटर तक िवबय करेगा और पांच घन मीटर से अिधक का िकसी रिजःशीकृत उपभोक् ता को ही फुटकर में िवबय करेगा।

(11)अनुज्ञिप्तधारी, ऐसे ू त् येक व् यिक्त को, िजसे िक िविनिदर् ट इमारती लकडी बेची गई हो, ू रूप "ङ" में उपभोक् ता िवबय ूमाण-पS जारी करेगा िजसे बेता ऐसी इमारती लकडी के पिरवहन करते समय तथा अिन्तम उपयोग तक धािरत करेगा।

िटप् पणी Ð

(1) वन मण् डलािधकारी धारा 7(2) के अन् तगर्त "िविनमार्ता" का रिजःशीकरण करने के िलये ूािधकृत है। उसका यह अिधकार ूशासिनक आदशों से समाप् त नहीं होगा।

(हरबन् स लाल िव. म.ू. शासन M.P.L.J. 1983 S.N.7)

(2)िनयम 8 में शब् द "ऐसा ः टाक जो वह बय करने का दावा करता है" में वह समः त ः टाक सिम्मलत नहीं िकया जा सकता जो व् यिक्त के कब् जे में पाया जाये। केवल िवबय ूमाण-पSों के अन् तगर्त बय इमारती लकडी ही इस धारा में आती है।

(कमलेश कुमार िव. म.ू. शासन A.I.R. 1985 M.P. 130 M.P.L.J. 72)

पिरवहन अनुज्ञा-पS (टी-1)

(िनयम 4(1) देिखये)

टी-1. िविनिदर् ट क्षेS के भीतर पिरवहन के िलये, जब और आगे पिरवहन की आवँ यकता न हो।

पुः तक बमांक .... पृं ठ बमांक .... (क)उद्गम का ः थानीय क्षेS .... (ख)ः वामी का नाम एवं पता ....

(रिजःशीकरण बमांक सिहत) .... (ग)इमारती लकडी का िववरण तथा माSा .... (घ)इमारती लकडी पर हथौडे का िनशान .... (ङ)कैसे बय की गई, और क् या इमारती ....

लकडी की पूरी की कीमत चुकाई गई ....

है ब् यौरे दीिजये .... (च)उस ः थान का नाम जहां ....

इमारती लकडी का पिरवहन ....

िकया जाना है ....

(छ)पिरवहन की रीित ....

(ज)पिरवहन का मागर् .... (झ)वे िडपो, जहां पर इमारती ....

लकडी जांच पडताल के िलये ....पेश की जायेगी ....

(ञ)अनुज्ञा-पS पयर्विसत होने ....

की तारीख ....

कायार्लय की मुि़ा जारी करने वाले ूािधकारी के हः ताक्षर

परिवहन अनुज्ञा-पS (टी-2)
(िनयम 4(1) देिखये)

िविनदर्ं ट क्षेS के भीतर परिवहन के िलये, जब और आगे परिवहन की आवँ यकता हो।

पुः तक बमांक .... पृं ठ बमांक .... (क)उद्दगम का ः थानीय क्षेS .... (ख)ः वामी का नाम एवं पता ....

(रिजःशीकरण बमांक सिहत) .... (ग)इमारती लकडी का िववरण तथा माSा .... (घ)इमारती लकडी पर हथौडे का िनशान .... (ङ)कैसे बय की गई, और क् या पूरी ....

कीमत चुकाई गई है ब् यौरे दीिजये .... (च)उस वनखंड का नाम व ः थान ....

जहां इमारती लकडी संमहीत की जावेगी ....

(छ)परिवहन की रीित ....

(ज)परिवहन का मागर् .... (झ)वे िडपो, जहां पर इमारती ....

लकडी जांच पडताल के िलये ....

पेश की जायेगी .... (ञ)अनुज्ञा-पS पयर्विसत होने ....

की तारीख ....

कायार्लय की सील जारी करने वाले आिफसर के हः ताक्षर

परिवहन अनुज्ञा-पS (टी-3)
(िनयम 4(1) देिखये)
िविनदर्ं ट क्षेS से बाहर परिवहन के िलये

पुः तक बमांक .... पृं ठ बमांक .... (क)उद्दगम का ः थानीय क्षेS .... (ख)ः वामी का नाम एवं पता ....

(रिजःशीकरण बमांक सिहत) .... (ग)इमारती लकडी का िववरण तथा माSा .... (घ)इमारती लकडी पर हथौडे का िनशान ....

(ङ)कैसे बय की गई, और क् या पूरी ....

कीमत चुकाई गई है ब् यौरे दीिजये .... (च)उस ः थान का नाम जहां ....

इमारती लकडी का परिवहन ....

िकया जाना है ....

(छ)परिवहन की रीित ....

(ज)परिवहन का मागर् .... (झ)वे िडपो, जहां पर इमारती ....

लकडी जांच पडताल के िलये ....पेश की जायेगी ....

(ञ)अनुज्ञा-पS पयर्विसत होने ....

की तारीख ....

कायार्लय की मुि़ा जारी करने वाले ूािधकारी के हः ताक्षर

ूरूप "क"

परिवहन अनुज्ञा-पऽ की मन् जूरी के िलये आवेदन पऽ का ूरूप

(क)आवेदक का नाम . ... (ख)खंड या ः थान जहां से िविनिदर् ट ....

इमारती लकडी बय की गई है .... (ग)बय की तारीख तथा रीित . ...

(घ)बय की गई इमारती लकडी के ब् यौरे .... हथौडे का िनशान तथा िववरण ....

(ङ)उस इमारती लकडी के ब् यौरे िजसके .... िलये अनुज्ञा-पऽ अपेिक्षत है ....

(च)अपेिक्षत अनुज्ञा-पऽ का ूकार .... (छ)कालाविध िजसके िलये अनुज्ञा-पऽ ....

िविधमान् य होना अपेिक्षत है .... (ज)गंतव् य ः थान, जहां से और ....

जहां तक िविशदर् ट इमारती ....

लकडी का परिवहन िकया जाना है .... (झ)परिवहन की रीित .... (ञ)वे मागर् िजसके द्वारा िविनिदर् ट ....

इमारती लकडी का परिवहन िकया जाना है .... (ट)वे ः थान, जहां पर परिवहन की गई ....

िविनिदर् ट इमारती लकडी उपभोग/व् यापार ....

िविनमार्ण के कायर् में लाई जावेगी ....

सरकार से िविनिदर् ट इमारती लकडी बय करने का साआ य, जो िनम् न है, साथ संलग् न है।

....

ः थान ....

िदनांक ....

आवेदक के हः ताक्षर

ूरूप "ख"

(िनयम 5(2) देिखये)

धारा 10 के अधीन िविनिदर्ष्ट इमारती लकड़ी को उगाने वालों के रिजःशीकरण के िलये आवेदन पऽ।

(क)आवेदक का नाम . ...

(ख)आवेदक के िपता का नाम .... (ग)माम तथा पटवारी हल् का ब.. ....

(घ)तहसील .... (ङ)थाना .... (च)उन भू-खण् डों की िःथित, क्षेऽ तथा ....

सवेर्क्षण नम् बर िजन पर िविनिदर्ष्ट ....

इमारती लकड़ी उगाई गई है (क्षेऽ ....

के खसरे एवं नक् शें की ूमािणत ....

ित संलग् न की जायें) .... (छ)क् या उस क्षेऽ िजस पर िविनिदर् ट वनोपज ....

उगाई गई है, का सीमांकन हुआ है .... (ज)क् या िविनिदर्ष्ट इमारती लकड़ी के ....

वृक्षों को, िजनके िलये रिजःशीकरण ....

अपेिक्षत है, अनुबमांिकत िकया गया है ....

और म.ू. भू-राजः व संिहता, 1959 और ....

उनको लागू होने वाले िनयमों के उपबन् धों ....

के अधीन उनकी कटाई एवं िवबय िकया ....

जाना अनुज्ञेय हैं । इससे संबंिधत ूमाण ....

संलग् न िकया जाये .... (झ)िविनिदर्ष्ट इमारती लकड़ी के उन वृक्षों ....

का िववरण िजसके िलये रिजःशीकरण ....

अपेिक्षत है-सूिचत िकया जाये ....

ः थान ....

िदनांक ....

आवेदक के हः ताक्षर

मािणत िकया जाता है िक आवेदन की अन् त:वः तु की जांच मैंने कर ली है और वह सही है।

ित हः ताक्षर तहसीलदार

पटवारी के हः ताक्षर

एवं सत् यािपत एवं उप-खंडीय वन आिफसर .... की ओर आवँ यक कार्यवाही हेतु अमेिषत ....

.... पिरक्षेऽ

पिरक्षेऽ अिधकारी

कालम (झ) में वांिछत सूची के ूपऽ

माम	सवेर्क्षण बमांक	जाित	अनुबमांक	छाती ऊँचाईपर गोलाई (से.मी.)	िटप् पिणयां

ूरूप "ग"

(िनयम 5(2) देिखये)

उगाने वालों के रिजःशीकरण का ूरूप

रिजःशीकरण .... बमांक .... वषर् .... (1)उगाने वाले का नाम ....

तथा उसके िपता का नाम .... (2)िनवास ः थान का पूरा पता .... (3)उस माम का नाम जहां पर ....

िविनदर्ं ट इमारती लकडी उगाई ....

गई है (पटवारी हल् का ब. सिहत) .... (4)पुिलस थाना .... (5)िजला .... (6)क्षेऽ में उगाई इमारती लकडी के ब् यौरे ....

जाित	छाती ऊँचाई पर गोलाई	वृक्षों की संख् या	िटप् पिणयां

कायार्लय की मुि◌ा

हः ताक्षर खण् डीय वन आिफसर

ूरूप "घ"

िविनिदर्ष्ट इमारती लकड़ी के िविनमार्ता, व् यापारी, उपभोक् ता द्वारा घोषणा

मैं/हम .... एतदद्वारा घोिषत करता हूं/करते हैं िक मैं/हम िविनिदर्ष्ट इमारती लकड़ी के िजला .... राज् य .... में कायर्रत वाः तिवक िविनमार्ता/व् यापारी हूं/हैं। मेरे/हमारे कारबार के ब् योरे िनम् नानुसार हैं -

(1)उस व् यिक्त या फमर् या कम् पनी का नाम ....

िजसके नाम से कारबार चलाया जाता है। .... (2)फमर् या कम् पनी का रिजःशीकरण बमांक .... (3)कारबार के उन केन् ि◌ों के नाम ....

िजनमें िक या तो कायार्लय हो या िडपो हो ....

1.................................

2.................................

3.................................

(4)घोषणा ूपS ूः तुत करने के समय ूत् येक िडपो में िविनिदर्ष्ट इमारती लकड़ी का वतर्मान ः टाक -

संमहण केन् ि का नाम (1)	जाित (2)	माS◌ा (3)

(5)वह व् यापार, िजसके िलये िविनिदर्ष्ट इमारती लकड़ी को कच् चे माल के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है या उसको िकस ूकार उपयोग िकया गया है ?

(6)पूवर् के दो वषोर् के दौरान ूितवषर् िविनिमर्त, ऐसे तैयार माल की माS◌ा, िजसके िक िविनिदर्ं ट इमारती लकडी को कच् चे माल के रूप में ूयुक् त िकया गया है तथा उपयोग में लाई गई िविनिदर्ष्ट इमारती लकड़ी की माS◌ा -

वषर् (1)	तैयार माल की माS◌ा (2)	उपयोग में लाई गई िविनिदर्ष्ट इमारती लकड़ी की माS◌ा (3)

(7)आगामी वषर् के दौरान तैयार माल की अनुमािनत माS◌ा और उसके िलये िविनिदर्ष्ट इमारती लकड़ी की अनुमािनत आवँ यकता ....

(क)अनुमािनत तैयार माल ....

(ख)िविनिदर्ष्ट इमारती लकड़ी की अनुमािनत ....

आवँ यकता/माS◌ा।

(8)पूवर् के दो वषोर् के दौरान ूितवषर् िनयार्त की ....

गई िविनिदर्ष्ट इमारती लकड़ी की माS◌ा Ð

वषर् (1)	िनयार्त का ः थान (2)	माS◌ा (3)

1.	1............	....
2.	2............	....
	3............	....
	1............	....
	2............	....
	3............	....

(9)आगामी वषर् के दौरान अनुमाि‍नत ि‍नयार्त (माऽा) .... में यह और घोि‍षत करता हूं ि‍क मैने मध् य ू देश वन उपज (व् यापार ि‍विनमय) अिधिनयम, 1969 तथा उसके अधीन बनाये गये ि‍नयमों के उपबन् ध पढ. ि‍लये है तथा समझ ि‍लए है।

उपर ि‍दये गये समः त ब् यौरे मेरे सवोर्त् तम ज्ञान के अनुसार सही है और उसके ूमाण के साआ य पेश करूगा।

ः थान ....

....

ि‍विनमार्ता/व् यापारी/उपभोक् ता के हः ताक्षर

घोषणा पऽ ूः तुत करने की तारीख .... । .... को (आिफसर) को .... (ः थान) .... पर दो ूि‍तयों में ूः तुत की गई।

....

ि‍विनमार्ता/व् यापारी/उपभोक् ता के हः ताक्षर

ूरूप "ड."

(ि‍नयम 7(2) देि‍खये)

धारा 11 के अधीन ि‍विनिदर् ट इमारती लकडी क ि‍विनमार्ता/व् यापारी/उपभोक् ता के रिजःशीकरण के ि‍लये आवेदन पऽ

(1)आवेदन का नाम उसके ि‍पता का नाम ....

तथा पता ....

यिद रिजःशीकृत फमर् या कम् पनी हो तो फमर् ....

या कम् पनी का नाम उसका रिज. ब. ....

रिजःशीकरण का वषर्, मुख् तारनामा धारण ....

करने वाले व् यिक्त का नाम ....

तथा पता ....

(2)कारोबार का ः थान/मुख् यालय/ूधान कायार्लय, ...

की िः थित, माम/नगर, तहसील, पुि‍लस थाना, ि‍जला।

(3)ि‍विनिदर् ट इमारती लकडी के व् यापार की ....

ि‍विशिष्टयां (माऽा) .... (क)ूि‍तवषर् बच्चे माल के रूप में ूयुक्त औसत माऽा और/या गत तीन वषोर्ं के दौरान राज्यके बाहर ू ि‍तवषर् ि‍नयार्त की गई ि‍विनिदर्ष्ट इमारती लकडी की औसत माऽा तथा तीन वषोर्ं केदौरान ूत्येक वषर् ि‍नयार्त की गई ि‍विनिदर्ष्ट इमारती लकडी की माऽा।

वषर्	माऽा
20	....
20	....
20	....

(ख)ि‍विनमार्ता की दशा में व्यापार, ि‍चह्न, यिद, कोई ....

हो तथा व्यापारी की दशा में उस ःथान का नाम
था उन ःथानों के नाम जहाँ ि‍विनिदर्ष्ट इमारती
लकडी का ि‍नयार्त ि‍किया जाता है।

(ग)ि‍विनिदर्ष्ट इमारती लकडी की अनुमाि‍नत वाि‍षर्क

आवँ यकता .... 1.लकडी से बना वःतुओं के िनमार्ण के िलये कच्चे ....

माल के रूप में उपयोग हेतु।

2.राज्य के बाहर िनयार्त के ूयोजन हेतु

(घ)उन िडपो के ःथान या ःथानों के नाम जहाँ आवेदक .... की िविनिदर्ष्ट इमारती लकडी का ःटाक भंडािरत िकया जाता है। ....

(ङ)वह रीित, िजसमें िक उपरोक्त अिभूाप्त िकया जाता है...

(4)आवेदक ....

1.िविनमार्ता ....

2.व्यापारी ....

3.उपभोक् ता के रूप में कब से कायर् करता है .... (5)दो ूितिष्ठत व्यिक्तयों के नाम तथा पते िजनको िक आवेदन-पऽ के ब्यौरे के सत्यापन के िलये िनदेर्श िकया जा सके।

नाम, पता (1) ....

(2) ....

(6)िविनिदर्ष्ट इमारती लकडी की माऽा िजसके िलये रिजःशीकरण अपेिक्षत हैं। ....

(7)वषर् िजसके िलये रिजःशीकरण अपेिक्षत हैं।

(8)क् या आवेदक पूवर् में रिजःशीकृत िकया गया था और यिद ....

ऐसा है तो िकस वषर् में तथा िकस खंड मैं और िविनिदर्ष्ट ....

इमारती लकडी की िकतनी माऽा के िलये।

(9)कोई अन्य जानकारी िजसे आवेदक इस साआ य के रूप में देना चाहे िक वह िविनिदर्ष्ट इमारती लकडी का वाःतिवक िपिनमार्ता/व्यापारी/उपभोक् ता है। ....

(10).....................................रुपये रिजःशीकरण कीस के संदाय का साआय।

ः थान ....

तारीख ....

आवेदक के हःताक्षर

ूरूप 'च'

(िनयम 7(2) देिखये)

िविनिदर् ट इमारती लकडी के िविनमार्ता/व् यापारी/उपभोक् ता के रूप में रिजःशीकरण का ूमाण-पऽ :

पुः तक बमांक .... पृं ठ बमांक ....

यह ूमािणत िकया जाता है िक मेससर्/ौी .... आत् मज .... िनवासी .... थाना .... तहसील .... िजला .... को मध् य ू देश वन उपज (व् यापार िविनयमन) अिधनयम, 1969 की धारा 11 तथा उसके अधीन बनाये गये िनयमों के अपेक्षानुसार िविनिदर् ट इमारती लकडी के िविनमार्ता/व् यापारी/उपभोक् ता के रूप में वषर् .... के िलये रिजःशीकृत िकया गया है।

िविनमार्ता/व् यापारी/उपभोक् ता के िलये व् यवसाय में ूितवषर् िविनिदर् ट इमारती लकडी की अनुमािनत माऽा लगभग .... है जो िनम् निलिखत ः थानों में संग्र हीत है :

(1)...

(2)...

(3)...

(4)...

खंडीय वन आिफसर

खण् ड ....

कायार्लय की मुिा   िदनांक ....

ूरूप 'छ'

(िनयम 8 देिखये)

िवबय का ूमाण-पऽ :

पुः तक बमांक .... पृं ठ बमांक ....

यह ूमािणत िकया जाता है िक .... वनमण् डल के िडपो .... में िदनांक .... को हुए नीलाम में िववरण अनुसार वन उपज ौी/मेससर् .... को बेची गई।

वन उपज का िववरण ....

लाट/फडी बमांक ....

लकडी की संख् या/माऽा/िक्वंटल में ....

लकडी की गोलाई वगर् ....

आयतन (घ. मी. में) ....िवबय मूल् य ....

िवबय कर रािश (ूितशत की दर) ....कुल रािश ....

बैंक साफ्ट बमांक म. ई. बमांक/िदनांक ....

कोषालय का नाम तथा चालान नं. एवं िदनांक ....

हथौडे का िनशान (केवल इमारती लकडी के िलये) ....

वन उपज का िववरण ....

....

िदनांक ....

शासकीय आिफसर के हः ताक्षर

ूरूप 'ज'

(िनयम 9(2) देिखये)

िविनिदर्ं ट इमारती लकडी .... के अनुज्ञिप्तधारी के िलये अनुज्ञिप्त मंजूर करने हेतु आवेदन-पऽ

1.आवेदक का नाम तथ उसके िपता का नाम .... (फमर् के मामले में, फमर् के नाम से कायर् करने वाले भागीदारों और मुख् तारनामा धारण करने वाले व् यिक्त का नाम सिहत फमर् का नाम दीिजए। (मुख् यतारनामे की एक ूित संलग् न की जावे)

2.पूरा पता .... 3.वृित्त (Profession) .... 4.कारोबार का/के ः थान .... 5.िविनिदर्ं ट इमारती लकडी की माऽा ....

िजसके िलए अनुज्ञिप्त हेतु आवेदन िकया।

6. त् यािशत वािषर्क आवँ यकता .... ूजाित माऽा घ.मी. ....

....

7.िनजी सम् पित्त के ब् यौरे सिहत िवत् तीय पिरिःथित .... 8.उक् त िविनिदर्ं ट इमारती लकडी के व् यापार का पूवर् अनुभव .... 9.ः थान िजसके िलये अनुज्ञिप्त हेतु आवेदन िदया है ....

10.आवेदन फीस संदाय का साआ य।

11.वािषर्क अनुज्ञिप्त फीस संदाय का साआ य

....

आवेदक के हः ताक्षरघोषणा

मैं/हमने मध् य ूदेश वन उपज (व् यापार िविनयमन) अिधिनयम, 1969 तथा उसके अधीन बनाये गये िनयमों एवं सब उपबन् धों को पढा तथा समझा िलया है। अिधिनयम या िनयमों के उपबन् धों के भंग की दशा में मैं/हम िविहत की गई रीित में दिण्डत िकया जा सकूगा/िकये जा सकेंगे। उपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सवोर्त् तम ज्ञान तथा िवँ वास में सही है।

....

आवेदक के हः ताक्षर

ूरूप 'झ'

(िनयम 9(6) देिखये)

िविनदर् ट इमारती लकडी के फुटकर िवबय के िलये अनुज्ञिप्त

(मध् य ूदेश वन उपज (व् यापार िविनयमन) कां ठ िनयम, 1973 के िनयम 9(6) के साथ पिठत मध् य ूदेश (वन उपज) (व् यापार िविनयमन) अिधनियम, 1969 की धारा 13 के अनुसार।

1.अनुबमांक .... 2.(कालाविध) िजसके िलये िविधमान् य हो

....

3.अनुज्ञिप्तधारी का नाम तथा पूरा पता .... 4.वह ः थानया वे ः थान जहां फुटकर िवबय ....

िकया जाना अनुज्ञात है।

5.उस िविनदर् ट इमारती लकडी का नाम (1)....................................

(2)....................................

(3)....................................

....

6.ऐसी ूत् येक िविनदर् ट इमारती लकडी की माSा ....िजसकी िक वषर् के दौरान फुटकर िवबय हेतु व् यापार िकया जाना हो -

(1)....................................

(2)....................................

(3)....................................

िटप् पणी Ð उपर विणर्त अिधनियम तथा िनयमों के उपबंधों का कोई भंग होने की दशा में यह अनुज्ञिप्त रद्द कर िदये जाने के दाियत् वाधीन होगी।

मेरे हः ताक्षर से तथा मुि◌ा
लगाकर जारी की गई
(मुि◌ा) ....
राजपिSत सहायक/खण् डीय वन आिफसर

ूरूप 'ञ'

(िनयम 9(11) देिखये)

उपभोक् ता िवबय ूमाण-पS

पुः तक बमांक .... पृं ठ बमांक ....फुटकर अनुज्ञिप्त बमांक ....िवबय का ः थान .... (क)फुटकर िवबेता/अिभकत् तार् का नाम .... (ख)उपभोक् ता का नाम तथा पता .... (ग)उस िविनदर् ट इमारती लकडी का ....

िववरण जो उपभोक् ता को बेची गई ....

और उसके िलये ूमािणत रकम। .... (घ)बेची गई इमारती लकडी पर हथौडे का िचह्न .... (ङ)उस ः थान का नाम जहां इमारती लकडी ....

का पिरवहन िकया जाना है।

(च)वह मागर् िजससे इमारती लकडी का पिरवहन िकया जाना है।

....

....

(छ)उस िडपो का नाम जहां इमारती लकडी .... (ज)जांच हेतु पेश की जावेगी । .... (झ)पास जारी करने वाले फुटकर िवबेता .... के हः ताक्षर।

नोट : जब इमारती लकडी शहरी/मामीण क्षेSों की सीमा में पिरवहन की जावे तो (घ), (ड), (च), (छ) लागू नहीं होगे।

भाग दो : खण् ड सात

ःथािपत िडपो से इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, लकड़ी के कोयले की

नीलामी में िवबय की शतोर् को िविनयिमत करने वाले िनयम : वषर् 89

वन िवभाग, भोपाल िद 30.5-89 ब. 2343/2751-दस-3-89 ःथािपत िडपो से इमारती लकडी,जलाऊ लकडी के कोयले की नीलामी में िवबय की शतोर्ं के िविनयिमत करने वाले िनयम िनम्नानुसार हैं-

नीलामी की सूचना

सवर्साधारण की जानकारी के िलये एतदद्वारा यह अिधसूिचत िकया जाता हैं िक संलग्न सूची के अनुसार िवभागीय रूप से काटी गई और/या संमहीत की गई इमारती लकडी/जलाऊ लकडी/तथा/या संमिहत लकडी के कोयले के िविभन्न लाटों का िवबय वन मण्डलािधकारी .... वनमण्डल .... द्वारा .... ःथान पर िदनांक .... को .... बजे से आरंभ करते हुए और यिद आवँयक हुआ तो अगले िदनों .... बजे से .... बजे तक सावर्जिनक नीलामी द्वारा िकया जावेगा।

नीलामी के समय घोिषत या अनुरोध पर पूवर् में उपलब्द कराई गई इमारती लकडी, जलाऊ लकडी, लकडी के कोयले के मापों, माऽाओं और ौेणी के ब् यौरे वन मण् डलािधकारी की सवोर्त्तम जानकारी के अनुसार सही हैं िकन् तु उनकी सही होने की िकसी सीमा तक गारण् टी नहीं है । इस िलये बोली लगाने वाले इच्छुक व्यिक्तयों को यह सलाह दी जाती है िक वे इस िवषय में अपना समाधान करने की दृिष्ट से उस लाट या उन लाटों का िजसके िलये/िजनके िलये वे बोली लगाना चाहते हैं, ःथल पर िनरीक्षण कर लें।

अनुरोध करने पर लाटों और मापों के ब् यौरे, उप वन मण्डलािधकारी/पिरक्षेऽ अिधकारी/िडपो अिधकारी से ूाप्त िकये जा सकते हैं। यिद बाद में माऽा आिद के ब् यौरे गलत पाये जावें जो राज्य शासन के िवरूद्ध मुआवजे या अन् य िकसी राहत के िलये कोई भी दावा नही होगा।

1(क) िकसी भी व्यिक्त को नीलाम में िकसी लाट के िलए बोली लगाने की अनुमित तब तकनहीं दी जावेगी जब तक िक उसने शतोर्ं का पालन करने के ूतीक ःवरूप िवबय सूचना पर हःताक्षर न का िदये हों और ूत्येक लाट परबोली लगाने के पूवर्, उस रािश के िजतने की वह बोली लगाना चाहता है, 10 ूितशत के बराबर या एक हजार रूपये, इनमें से जो भी अिधक हो, िक बयाने की रािश जमा न की हो। बोली लगाने वालों को यह अनुमित दी जावेगी िक वह नीलामी के दौरान पिहले ही जमा की गई 10 ूितशत रािश द्वारा अनुमित सीमा से अिधक की बोली लगाना चाहते हों तो बयाने की रािश में और रािश जमा कर सकें।

(ख) असफल बोली लगाने वालों के मामले में, बयाने की जमा रकम, नीलाम समाप् त होने पर, उन् हें उसके िलए सम् यक् रूप से िटकट लगी रसीद ूः तुत करने पर वापस लौटा दी जावेगी। सफल बोलीदारों के मामलें में यह रकम, लाट के िलये बोली गई रािश के 25 ूितशत के भुगतान में जैसा शतर् 2(क) के अधीन अपेिक्षत है, समोिजत कर ली जावेगी।

2(क)(एक) बोली ः वीकृत होने के तत् काल बाद या नीलाम की तारीख से 7 िदन के अन् दर, जैसा भी वन मण् डलािधकारी द्वारा ः विववेक से अनुमत िकया जावे, सफल बोलीदार को और रकम का, िजससे बोली की रािश का 25 ूितशत पूरा हो जावे, मांग जमा रसीद (Call deposit Receipt), बैंकसर् चेक या िकसी अनुसूिचत बैंक द्वारा उसकी ः थानीय शाखा के नाम जारी िकये रेिखत बैंक साफ्ट (Crossed Bank Draft) द्वारा जो वन मण् डलािधकारी .... वन मण् डल के पक्ष में आहिरत होगा,
भुगतान करना होगा और ऐसा न करने पर िवबय रद्द िकया जावेगा और उपयुर्क् त शतर् 1(क) के अधीन बयाने के रूप में जमा रािश शासन के पक्ष में समपहृत हो जावेगी और चूक कतार् बोली लगाने वाले की जोिखम के िबना, लाट की पुन: नीलामी की जावेगी।

2(क)(दो) उपरोक् त शतर् 2-क(एक) के अधीन िवबय रद्द हो जाने की िःथित में यिद चूक कतार् बोली लगाने वाला, अनुवतीर् नीलाम में लाट के िवबय के पूवर्, िवबय के पुन: ूवतर्न का िनवेदन करे, तो वह संरक्षक, यिद उनका इस बात से समाधान हो जावे िक बोली समुिचत तथा पयार्प् त रूप से िवँ वसनीय कारण से िविहत समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं कर सका था, तो वह सम् पूणर् िवबय मूल् य, उस पर ब् याज, ः थान भाडा तथा िवबय मूल् य के 5 ूितशत के बराबर पुन: ूवतर्न शुल्क का भुगतान करने पर िवबय का पुन: ूवतर्न कर सकेगा। उसके पँ चात् इन शतोर् के िविभन् न खण् डों में दी गई िविहत अविधयों तथा समय सीमाओं की गणना जो िवबय को िविनयिमत करती हो, नीलाम की तारीख से की जावेगी।

वसूल योग् य ब् याज दर तथा उसकी गणना पद्धित नीचे दी गई शतर् 2ख(दो) में िदये अनुसार होगी। ः थान भाडा नीचे दी गई शतर् 14(क) के अनुसार वसूली योग् य होगा।

2(ख)(एक) बोली की शेष 75 ूितशत, रािश बेता द्वारा, बोली की मन्जूरी की तारीख से जो वन मण् डलािधकारी द्वारा उसे िलिखत रूप में पंजीयत डाक से संसूिचत की जावेगी, 45 िदन के भीतर भुगतान की जावेगी। तथािप अपवािदत मामले में वन मण् डलािधकारी बेता द्वारा िनवेदन िकये जाने पर, बोली की शेषरािश के भुगतान

की 45 िदन की अविध को नीचे दी गई शतर् 2(ख)(दो) में िदये गये ब् यौरे के अनुसार, ब् याज का भुगतान करने पर 75 िदन तक बढा सकेगा।

बोली की शेष रािश का भुगतान मांग जमा रसीद (Call Deposit Receipt), बैंकसर् चेक, या अनुसूिचत बैंक द्वारा उसकी ः थानीय शाखा पर जारी िकये रेिखत बैंक साफ्ट (Crossed Bank Draft) जो वन मण् डलािधकारी .... वन मण् डल के पक्ष में आहिरत हो, के द्वारा िकया जावेगा।

2(ख)(दो) यिद बोली की शेष रािश का भुगतान मंजूरी की संसूचना की तारीख से 45 िदन के भीतर न िकया जाये तो भुगतान न की गई रािश पर छयािलसवें िदन से 18 ूितशत वािषर्क की दर से या समय- समय पर पुनरीिक्षत दर से ब् याज वसूल िकया जावेगा। ब् याज की गणना के िलये 15 िदन या उससे कम अविध की गणना आधा महीने तथा 15 िदन से अिधक को पूरा मिहना के रूप में की जावेगी।

2(ग)(एक) उपयुर्क् त शतर् 2(ख) के अधीन भुगतान योग् य रकम के अलावा मध् यूदेश सामान् य िवबय कर अिधनियम, 1958 (ब. 2 वषर् 1959) तथा केन् िीय िवबय कर अिधनियम 1956 के उपबन् धों के अनुसार वन िवभाग द्वारा भुगतान योग् य िवबय कर वन िवकास उपकर तथा अन् य समः त करों की वसूली िवबय मूल् य सिहत खरीददार से की जायेगी।

2(ग)(दो) फायनेन् स एक् ट, 1988 की नवीन ूः थािपत धारा 206 सी एवं 44 ए.सी. के ूावधानों के अनुसार जो 1 जून, 1988 से ूभावशील है, खरीददारों से िवबय मूल् य पर आयकर भी वसूल िकया जावेगा।

2(ग)(तीन) उपयुर्क् त खण् ड 2(क) तथा (ख) के अधीन देय िवबय रािश तब तक पूणर्त: भुगतान की गई नही मानी जावेगी। जब तक िक उपयुर्क् त उपखण् ड 2(ग)(एक) एवं 2(ग)(दो) के अधीन उस तारीख को देय िवबय कर तथा आयकर का भी पूणर्त: भुगतान न कर िदया गया हो।

2(ग)(चार) सफल बोली लगाने वाला व् यिक्त, वाद के दाियत् वों के िलये भी, यिद कोई हो, उत् तरदायी होगा, िजसमें इन शतोर् के अधीन उसे बेचे गये माल के सम् बन् ध में वन िवभाग द्वारा देय िवबय कर एवं आयकर के कारण अितिरक् त रािशयों का भुगतान भी शािमल है ऐसा भुगतान वन मंडल अिधकारी द्वारा िलिखत में मांग िकये जाने के 15 िदन के अन् दर करना पडेगा।

13. " िकसी भी व् यिक्त को, िकसी अन् य व् यिक्त या फमर् की ओर से बोली लगाने की तब तक अनुमित नहीं दी जाएगी, जब तक िक वह ऐसे व् यिक्त या फमर् द्वारा िनं पािदत मुख् त् यारानामा, जो पंजीयक या उप पंजीयक कायार्लय से िविधवत् पंजीकृत हो और िजसके द्वारा उसे कायर् करने की शिक्त ूाप् त हो, या उस फमर् का, िजसका भागीदारी होने का वह दावा करता है, पंजीयक ूमाण-पऽ वन मंडलािधकारी के समक्ष ूः तुत नहीं करता ।

एक व् यिक्त को मुख् त् यारनामा (Power of Attorney) ूः तुत करने पर केवल एक व् यिक्त या फमर् की ओर से नीलामी में बोली लगाने की अनुमित होगी"

4. ऐसा कोई व् यिक्त जो वन ठेकों में बोली बोलने से ूितबिन्धत या विजर्त िकया गया हो ऐसा िनषेध ूभावी रहने के दौरान नीलाम में बोली नहीं लगायेगा।

5. वन मण् डल अिधकारी की िलिखत अनुमित के िबना कोई भी ऐसा व् यिक्त, िजसके तरफ िकसी वन ठेके के कारण या उसके अधीन शासन को कोई भी रािश देय हो, नीलाम में बोली नहीं लगायेगा।

6. वन मंडल अिधकारी ू त् येक लाट के िलये आरिक्षत मूल् य िनयत कर सकेगा और यिद बोली ऐसे आरिक्षत मूल् य से कम की हो तो, िकसी भी लाट को नीलाम से अलग कर सकेगा।

7. वन मण् डल अिधकारी िपछली बोली पर ूत् येक बढती की न् यूनतम रािश िनयत कर सकेगा और बोली के दौरान इस ूकार िनयत रािश में समय-समय पर पिरवतर्न कर सकेगा। लगाई गई बोिलयां के िवषय में कोई िववद उत् पन् न होने की िःथित में िपछली अिन्तम अिव वािदत बोली से तत् काल पुन: बोली ूारम् भ की जायेगी।

8. वन मण् डल अिधकारी को यह अिधकार ूाप् त होगा िक वह िबना कोई कारण बताये Ð

(क) नीलाम की िकसी भी अवः था में िकसी भी अवः था में िकसी भी व् यिक्त को बोली लगाने से रोक दे ।

(ख) उच् चतम बोली या िकसी अन् य बोली को अः वीकार कर दें।

1(ग) उच् चतम बोली या िकसी अन् य बोली को ः वीकार करने तथा नीलामी की िकसी भी अवः था में िकसी प् लाट को नीलाम से अलग कर ले, भले ही बोली में लगाने वाले व् यिक्त उसे बय करने के िलये तैयार हों।

9. सफल बोली लगाने वाला व् यिक्त, उसकी बोली के ः वीकृत होने के तत् काल पँ चात् उसके पक्ष में बोली समाप् त िकये गये प् लाट के सम् बन् ध में, बोली पऽ पर हः ताक्षर करेगा और वन मंडलािधकारी को िलिखत रूप में वह डाक पता भी

देगा; िजस पर उसके िलये अिभ्ेत पऽ-व् यवहार िकया जा सके। पते में हुआ कोई भी पिरवतर्न उसके द्वारा इसी ूकार उस अिधकारी को संसूिचत िकया जायेगा। डाक ूमाण-पऽ सिटर्िफकेट ऑफ पोि◌ःटंग के अधीन या पंजीकृत डाक द्वारा उस पते पर िकया गया कोई पऽ-व् यवहार सफल बोली लगाने वाले व् यिक्त् ा तक सम् यक् रूप से पहुचा माना जायेगा।

10. वनमण् डलाि◌धकारी की मंजूरी की शिक्त से अिधक के ठेकों के िवबय सक्षम ूाि◌धकारी को मंजूरी के अध् यधीन होने तथा सफल बोली लगाने वाले व् यिक्त तब तक अपने बोली में आबद्ध रहेगा जब तक सक्षम ूाि◌धकारी द्वारा आदेश पाि◌रत न कर िदये जायें।

11. सफल बोली लगाने वाला व् यिक्त िजसकी बोली सक्षम ूाि◌धकारी द्वारा ः वीकार कर ली गई हो; बेता होगा।

12. (क) यिद िवबय मूल् य की शेष राि◌श 75 ूितशत राि◌श तथा उपयुर्क् त शतर् 2(ख) तथा (ग) की अपेक्षानुसार वन िवभाग द्वारा देय िवबय कर एवं आयकर की देय राि◌श सिहत राि◌श का भुगतान न करने की ि◌ःथित में िवबय रद्द कर िदया जायेगा और पहले से ही भुगतान की गई राि◌श, जो िकसी भी ि◌ःथित में ः वीकृत बोली के मूल् य के 25 ूितशत से कम नहीं होगी शासन के पक्ष में समपहृत कर ली जावेगी। चूक कतार्ओं का नाम तीन वषोर् के िलये काली सूची में दजर् कर िलया जायेगा। लाट को चूककतार् के िकसी दाि◌यत् व के िबना िफर से नीलाम कर िदया जायेगा।

(ख) यिद पूणर् िवबय मूल् य का भुगतान न करने के कारण िवबय रद्द कर िदया गया हो और ओहदे में अगले उच् चतर ूाि◌धकारी को इस बात से समाधान हो जाये िक सफल बोली लगाने वाला व् यिक्त समुिचत तथा पयार्प् त रूप से िवँ वसनीय कारणों से, जो अिभिलिखत िकये जायेगे, िविहत समय सीमा के भीतर भुगतान करने में असमथर् रहा था, तो ऐसा ूाि◌धकारी समः त देय राि◌शयों का पूवर् भुगतान करने एवं िवबय मूल् य के 5 ूितशत के बराबर पुनः ूवर्तन शुल् क का भुगतान करने पर िवबय को पुनः ूिवतर्त कर सकेगा।

13. (क) बेची गई इमारती लकडी/जलाऊ लकडी/कोयला को हटाने की अनुमित तब तक नही दी जायेगी, जब िक उसके सम् बन् ध में उपयुर्क् त शतर् 2 में िदये अनुसार पूणर् भुगतान और जहां आवँ यक हो वहां नीचे की शतर् 14 के अधीन भाडा का भुगतान न कर िदया हो। लाट/लाटों को हटाने की अनुमित सूयार्ः त के बाद और सूयोर्दय के पूवर् नही दी जायेगी और इमारती लकडी/जलाऊ लकडी/कोयला को ले जाने की अनुमित िडपों के उसी द्वार से की जायेगी, जो इस ूयोजन के िलये पृथक रूप से िनधार्िरत होगा, जहां इमारती लकडी, जलाऊ लकडी, कोयला के जांच के िलये और इमारती लकडी िनगर्म हथौडे से िचह्नांिकत करने के िलए ूः तुत की जायेगी।

1.Art (12)(14)26 भारत का संिवधान अरूप िव. मुख् य अिभयंता, भवन सडक म.ू. उच् चतम बोली ः वीकार न करना ः वेच् छा चाि◌रता नहीं यिद नीलाम की शतोर् में चूक होने से पुनः नीलाम शासन िहत में आदेिशत होने से शासन की कायर्वाही मानमानी नहीं है AIR 1989 M.P. 288.

(ख) िवबय की गई इमारती लकडी, जलाऊ लकडी, कोयला का पिरदान लेते समय बेता उसके िलए रसीद देगा।

(ग) िडपो से हटाई जाने वाली समः त इमारती लकडी, जलाऊ लकडी, कोयला सम् िबन्धत िडपो अिधकारी, पिरक्षेऽ अिधकारी से इस ूयोजन के िलये ूाप् त िकये जाने वाले सम् यक् रूप से िविहत पिरवहन अनुज्ञा पऽ (परिमट) के अन् तगर्त आयेगी।

(घ) बेता िडपो से इमारती लकडी/जलाऊ लकडी/कोयलाको हटाने के दौरान िडपो पिरसर के भवन िफक् ः चसर्, तथा िफिटंग् ज, वनोपज अथवा वहां खडे िकसी वृक्ष या पौधों को होने वाली हाि◌न या क्षित, यिद कोई हो, को पूरा करने का उत् तरदायी होगा। ऐसी हाि◌न या क्षित का मूल् यांकन जो वन मंडलाि◌धकारी द्वारा िकया जावेगा, अिन्तम होगा और बेता पर बंधनकारी होगा।

14. (क) यिद बेची गई इमारती लकडी, जलाऊ लकडी, कोयला उपयुर्क् त शतर् 2(ख)(एक) के अनुसार मंजूरी की सूचना की तारीख से 2 माह के भीतर िडपो से नहीं हटाया जायेगा तो वन मण् डलाि◌धकारी द्वारा िनम् नानुसार ः थान भाडा वसूल िकया जायेगा यथा Ð

(1) इमारती लकडी - 5/- रूपये ूितिदन ूित घ.मी.
(2) जलाऊ लकडी - 25/- रूपये ूित ः टेन् डडर् माप का चट्टा ूितमाह(3)
कोयला - 5/- रूपये ूितमाह ूित बोरा

मंजूरी की संसूचना की तारीख से दो महीने की अविध समाि◌प्त के उपरान् त ः थान भाडा की संगणना की जावेगी। तथाि◌प अपवाि◌दत मामलों में वन मण् डलाि◌धकारी अपने ः विववेक से, ः थान भाडे की वसूली िकये िबना मंजूरी की सूचना की तारीख से चार माह की अिधकतम अविध में िडपो से बेची गई इमारती लकडी/जलाऊ लकडी/कोयला हटाने की अनुमित दे सकेगा, बशतेर् िक लाट की नीलामी के समय ऐसी घोषणा की गई हो और बोली पऽक पर अिभिलिखत की गई हो।

(ख) िवबय की गई और बय की गई समः त इमारती लकडी/जलाऊ लकडी/कोयला िडपो से मंजूरी ूेषण की तारीख से दो माह की अविध के भीतर हटा ली जायेगी, तथािप यिद बेता िजसने पहले की पूरी रािश का भुगतान कर िदया है, कितपय अपिरहायर् कारणों से उपयुर्क् त अविध के भीतर इमारती लकडी, जलाऊ लकडी, कोयला न हटा सके तो उस भाडे का भुगतान करने पर मंजूरी के ूेषण की तारीख से चार महीने की अविध के भीतर लकडी हटाने की अनुमित दी जा सकेगी। चार माह की अविध समाप् त हो जाने पर बेता को केवल आपवािदक मामलों में वन संरक्षक (सम् बिन्धत) की िवशेष अनुमित से ही इमारती लकडी हटाने की अनुमित दी जा सकेगी, जो देय भूिम भाडे के अितिरक् त न हटाई गई इमारती लकडी, जलाऊ लकडी, कोयला के िवबय मूल् य के दस ूितशत से अिधक न होने वाली शािःत आरोिपत कर सकेगा। चार माह की अविध समाप् त हो जाने के बाद या वन संरक्षक (सम् बिन्धत) द्वारा बढाई गई अविध समाप् त हो जाने के बाद भी इमारती लकडी, जलाऊ लकडी, कोयला यिद न हटा हो तो उसे समपहृत कर िलया जायेगा और नीलाम द्वारा बेच िदया जायेगा और मूल बेता को उसके सम् बन् ध में दावा करने का अिधकार नहीं होगा।

15. वन िवभाग िवबय की गई इमारती लकडी, जलाऊ लकडी, कोयला की िकसी भी ूकार की क्षित व हािन के िलए जो आग और चोरी, दुिवर्िनयोग या दुघर्टना जैसी िकसी भी कारण से हुई हािन के िलये िकसी भी ूकार का उत् तरदाियत् व ः वीकार नही करेगा। िवबय क बाद िडपो में रखी इमारती लकडी, जलाऊ लकडी, कोयला पूणर्त: बेता की जोिखम पर होगी।

16. (क) व मागोर् पर शक या अन् य भारी वाहनों के चलाने के िलए वनमंडल अिधकारी से िनम् निलिखत दरों पर मागर् अनुज्ञा-पऽ/परिमट/ूाप् त करना होगा Ð

(एक) 400 रूपये ितमाही, ूित शक अथवा Ð
(दो) 20 रूपये ूित िशप
(ख) ितमाही की अविध की गणना िनम् नानुसार की जायेगी।
(एक) ूथम ितमाही 1 अूैल से 30 जून
(दो) िद्वतीय ितमाही 1 जुलाई से 30 िसतम् बर
(तीन) तृतीय ितमाही 1 अक् टूबर से 31 िदसम् बर
(चार) चतुथर् ितमाही 1 जनवरी से 31 माचर्

म.ू. शासन वन िवभाग ब./डी/2160/1368/2007/10-3 भोपाल िद. 13.6.2007

17. बोली लगाने की कायर्वाही को इन शतोर् की पूणर् और िबना शतर् ः वीकृित समझा जायेगा। उपबन् ध तथा उनके अधीन बनाये गये िनयम िजसमें वन संिवदा िनयम शिमल है जहां तक िक वे लागू हों, सफल बोली लगाने वाले व् यिक्त/बेता पर इस सूचना के अधीन िवबय की शतोर् के रूप में लागू होंगें।

19. इन शतोर् के अधीन बोली लगाने वाले से, िकसी भी कारण से वसूली योग् य रािश भू-राजः व के बकाया के रूप में वसूली योग् य होगी।

20. इन शतोर् के अधीन बेची गई जलाऊ लकडी/जलाऊ लकडी से िविनमिर्त कोयले को मध् य ूदेश राज् य बाहर िनयार्त िकया जा सकेगा जलाऊ लकडी/कोयलेअनुवतीर् बेता को भी राज् य के बाहर जलाऊ लकडी/कोयले का िनयार्त करने का अिधकार होगा।

(म.ू. शासन वन िवभाग अिधसूचना ब. 25-23-2008-दस-3 म.ू. भोपाल िदनांक 2 माचर् 2012)

21. ऐसे िकसी भी बोली लगाने वाले व् यिक्त या उसके िकसी एजेट या नौकर को, जो नीलामी की कायर्वाही के दौरान सावर्जिनक कतर्व् यों के िनवर्हन में बाधा डालता हो या रोकता हो का नीलामी/िवबय में भाग लेने से विजर्त िकया जा सकेगा और उसके द्वारा िकसी लाट के सम् बन् ध में जमा की गई बयाने की रािश यिद कोई हो तो मध् यूदेश शासन को समपहृत हो जावेगी। इसके अितिरक् त उसका नाम तीन वषर् की अविध के िलये काली सूची में दजर् कर िदया जायेगा।

22. इन शतोर् से उत् पन् न समः त िववाद मध् य ूदेश के न् यायालयों के अिधकार क्षेऽ के अध् यधीन होंगे।

नोट Ð म.ू. राजपऽ िदनांक 30-06-89 भाग 4(ग) पृं ठ 81.87 पर ूकािशत।

अनुसूची

अनु. ब.	अिधकारों का ूत् यायोजन	अिधकारी	शतेर् एवं िनबर्धन
1.	अिधनियम की धारा 3 क अधीन इकाई गिठत करने की शिक्त ू	धान मुख् यवन संरक्षक कायार्लय में उत् पादन शाखा का ूभार रखने वाला अिधकारी	इस शिक्त का ूयोग राज् यशासन की पूवर् मंजूरी से िकया जाएगा

2.	अिधिनयम की धारा 4 क अधीन अिभकताओं को िनयुिक्त करने की शिक्त	क्षेऽीय वृत् तका ूभाव रखने वाला अिधकारी	इस शिक्त का ूयोग राज् यशासन की पूवर् मंजूरी से िकया जायेगा।
3.	अिधिनयम की धारा 8 क अधीन िडपो खोले जाने के अधीन िडपो खोले जाने के िनदेर्श देने की शिक्त	वन संभाग का ूभार रखने वाला अिधकारी तथा राष्टर्ीय उद्यान का क्षेऽ संचालक/ उपसंचालक	-
4.	अिधिनयम की धारा 19 के उपधारा (1) के अधीन अपराधों के ूशासन की शिक्त	क्षेऽीय वृत् तका ूभार रखने वाला अिधकारी, क्षेऽीय वन संभाग का ूभार रखने वाला अिधकारी, राष्टर्ीय उद्यान का क्षेऽ संचालक / उप संचालक.	-

ब. एफ. 25-23-2008-दस-3 Ð ः थािपत िडपो से इमारती लकडी/जलाऊ लकडी/लकडी के कोयले की नीलामी में िवबय को िविनयमिमत करने के संबंध में राज् य शासन, वन िवभाग की अिधसूचना बमांक 2343-2751-दस-3-89, िदनांक 30 मई, 1989 द्वारा ूकािशत िनयमों में, राज् य शासन एतद्द्वारा िनम् निलिखत संशोधन करती है, अथार्त् Ð

संशोधन

1.शतर् 2(ग) (एक) में संशोधन Ð शतर् 2(ग) (एक) में "मध् यूदेश सामान् य िवबय कर अिधिनयम, 1958 (ब. दो सन् 1959)" के ः थान पर "मध् यूदेश मूल् य संविधर्त कर अिधिनयम, 2002 (ब. बीस सन् 2002) एवं मध् यूदेश मूल् य संविधर्त कर िनयम, 2006" ूितः थािपत िकया जाए।

2.नवीन शतर् बमांक 20(क) एवं 20(ख) जोडा जाना Ð उक् त शतोर् में वतर्मान में शतर् बमांक 20 के पँ चात् िनम् नानुसार नवीन शतर् 20(क) एवं 20(ख) जोडी जावे, अथार्त् Ð

"20(क) (I) िकसी नीलाम में िनवर्ितर्त िकसी लाट की बोली ः वीकार िकये जाने के उपरांत एवं बेता द्वारा पिरदान आदेश ूाप् त कर बय की गई वनोपज का पिरवहन कर िलये जाने के पूवर् उस लाट के िवषय में युिक्तयुक् त कारण दशार्ते हुए उक् त लाट के िवबय को िनरः त करने का पूणर् अिधकारी संबंिधत मुख् य वन संरक्षक/वृत् त के भारसाधक अिधकारी को होगा।

(II) मुख् य वनसंरक्षक/वृत् त के भारसाधक अिधकारी के िलए यह आवँ यक होगा िक नीलाम िदनांक से 7 िदवस के भीतर िकसी लाट िवशेष में पूणर् नाम एवं पते सिहत िशकायत ूाप् त होने पर वह उसका िनराकरण (िजसमें लाट िनरः तीकरण, भी सिम्मिलत है) िशकायत ूािप्त के िदनांक से 7 िदवस के भीतर करें।

20(ख) मुख् य वनसंरक्षक/वृत् त के भारसाधक अिधकारी द्वारा शतर् 20(क) (I) एवं 20(क) (II) में ूदत् त शिक्तयों के अनुरूप पािरत िनणर्य के िवरूद्ध आदेश िदनांक से 7 िदवस के भीतर अपील ूधान मुख् य वन संराक्षक कायार्लय में उत् पादन शाखा के भारसाधक अिधकारी को की जा सकेगी, िजसका िनराकरण आवेदन ूािप्त के 7 िदवस में िकया जावेगा।"

3.शब् दों का ूितः थापन Ð िनयमों में जहां-जहां शब् द "वन संरक्षक" शब् द आये हों, उसके ः थान पर "मुख् य वन संरक्षक/वन वृत् त के भारसाधक अिधकारी" तथा शब् द "वनमंडलािधकारी" के ः थान पर वन शब् द "वन संरक्षक/वनमंडल के भारसाधक अिधकारी" ूितः थािपत िकया जाता है।